अनुलग्नक

शुल्क की तालिका

[कंपनी (कार्यालयों का पंजीकरण एवं शुल्क) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसरण में]

I. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 के तहत फाइलिंग आदि के लिए शुल्क**

अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, फाइल करने, पंजीकृत करने या रिकार्ड करने या अधिनियम के अंतर्गत कोई तथ्य या सूचना की आवश्यकता के लिए या उसे प्राधिकृत करने के संगत प्रावधान में निर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क के भुगतान पर जैसा नीचे बताया गया है प्रस्तुत, दायर, पंजीकृत या रिकार्ड किया जाएगा।

क. रजिस्ट्रार को अदा किए जाने वाले शुल्क की तालिका

(I) शेयर पूंजी धारी कंपनी के संबंध में	एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनियों के अतिरिक्त	*एकल कंपनी और लघु कंपनियां
1. (क) एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनियों के लिए जिनकी सांकेतिक शेयरपूंजी 10,00,000/-रू. से अधिक न हो । **(ख)** प्रथम 10,00,000/-रू. और 5,00,000/-रू. तक के लिए सांकेतिक शेयर पूंजी के प्रत्येक 10,000/-रू. या 10,000/-रू. के भाग के लिए	--- ---	2000 200
(ग) किसी कंपनी जिसकी सांकेतिक शेयरपूंजी 1,00,000/-रू. से अधिक न हो के पंजीकरण के लिए	5000	---
2. ऐसी कंपनी जिसकी सांकेतिक शेयर पूंजी 1,00,000/-रू. से अधिक हो, के पंजीकरण के लिए उपर्युक्त 5,000/-रू. के शुल्क के साथ सांकेतिक पूंजी की राशि के अनुसार विनियमित अतिरिक्त शुल्क		

(क) प्रथम 1,00,000/-रू. से 5,00,000/-रू. तक के लिए सांकेतिक शेयर पूंजी के प्रत्येक 10,000/-रू. या 10000/-रू. के भाग के लिए	400	
(ख) प्रथम 5,00,000/-रू. से 50,00,000/-रू. तक के लिए सांकेतिक शेयर पूंजी के लिए प्रत्येक 10,000/-रू. या 10,000/-रू. के भाग के लिए	300	---
(ग) प्रथम 50,00,000/-रू. से 1 करोड़ रू. तक के लिए सांकेतिक शेयर पूंजी के प्रत्येक 10,000/-रू. या 10,000/-रू. के भाग के लिए	100	---
(घ) प्रथम 1 करोड़ रू. के बाद सांकेतिक शेयर पूंजी के प्रत्येक 10,000/-रू. या 10,000/-रू. के भाग के लिए **बशर्ते कि** जहां किसी कंपनी की सांकेतिक पूंजी की राशि के अनुसार नियंत्रित अनिश्चित शुल्क, दो करोड़ पचास लाख रूपये की राशि से अधिक हो, ऐसी कंपनी के पंजीकरण के लिए देय अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि, किसी भी हाल में दो करोड़ पचास लाख रूपये से अधिक न हो। **3.** किसी कंपनी की नामामत्र शेयरपूंजी में बढ़ोत्तरी की अधिसूचना दायर करने की तारीख को वर्धित शेयर पूंजी पर देय शुल्क और वर्तमान प्राधिकृत पूंजी पर देय शुल्क के बीच अंतर है तो सूचना दायर करने की तारीख को प्रचलित दर के अनुसार होगा। **4.** किसी वर्तमान कंपनी सिवाय उन कंपनियों को छोड़कर जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण संबंधी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, के पंजीकरण के लिए वही शुल्क लिए जाएंगे जो किसी नई कंपनी के पंजीकरण के लिए होते हैं। **5.** किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने, दायर करने, पंजीकृत करने या अभिलेख के लिए जिसे इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तुत करना, दायर करना, पंजीकृत करना या अभिलेख रखना अपेक्षित हो या	75	---

प्राधिकृत हो।		
(क) 1,00,000/-रू. की नामामत्र शेयर पूंजी धारी कंपनी के संबंध में।	200	
(ख) 1,00,000/-रू. या उससे अधिक लेकिन 5,00,000/-रू. से कम राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में।	300	
(ग) 5,00,000/-रू. या उससे अधिक लेकिन 25,00,000/-रू. से कम राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में।	400	
(घ) 25,00,000/-रू. या उससे अधिक लेकिन 1 करोड़ रू. से कम राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में।	500	
(ङ) 1 करोड़ रू. या उससे अधिक राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में **1.** किसी तथ्य का अभिलेख रखना या पंजीकृत करना जिसका इस अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा अभिलेख रखना अपेक्षित हो या पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत हो।	600	
(क) 1,00,000/-रू. तक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारी कंपनी के संबंध में।	200	
(ख)1,00,000/-रू. या उससे अधिक लेकिन 5,00,000/-रू. से कम राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में ।	300	
(ग) 5,00,000/-रू. या उससे अधिक लेकिन 25,00,000/-रू. से कम राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में ।	400	
(घ) 25,00,000/-रू. या उससे अधिक लेकिन 1 करोड़ रू. से कम राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में ।	500	
(ड.) 1 करोड़ रू. या उससे अधिक राशि की सांकेतिक पूंजीधारी कंपनी के संबंध में ।	600	
(II) शेयर पूंजी रहित कंपनी के संबंध में :		
2. किसी कंपनी के पंजीकरण के लिए जिसके सदस्यों की संख्या जैसा कि संगम ज्ञापन में उल्लिखित है 20 से अधिक न हो।	2000	
3. किसी कंपनी के पंजीकरण के लिए, जिसके सदस्यों की संख्या, जैसा कि संगम ज्ञापन में उल्लिखित है 20 से अधिक	5000	

पर 200 से अधिक न हो। **4.** किसी कंपनी के पंजीकरण के लिए, जिसके सदस्यों की संख्या, जैसा कि संगम ज्ञापन में उल्लिखित है 200 से अधिक पर असीमित न हो, के लिए 5000/-रू. शुल्क और 200 सदस्यों के बाद प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त 10/-रू. है।		
5. किसी कंपनी के पंजीकरण के लिए, जिसके सदस्यों की संख्या, संगम ज्ञापन में असीमित उल्लिखित है। **6.** कंपनी के पंजीकरण के बाद सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी के पंजीकरण के लिए, वही शुल्क लागू होंगे जो ऐसी बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देय है। बशर्ते इसका उल्लेख पंजीकरण के समय संगम ज्ञापन में हो : **बशर्ते कि** कोई भी कंपनी सदस्यों की संख्या से संबंधित शुल्क के लिए कुल मिलाकर 10,000/-रू. से अधिक भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगी, जिसमें कंपनी के प्रथम पंजीकरण पर भुगतान किया गया शुल्क भी शामिल है। **7.** इस अधिनियम के तहत पंजीकरण संबंधी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त कंपनियों को छोड़कर, किसी भी वर्तमान कंपनी के लिए वही शुल्क प्रभारित होंगे जो किसी नई कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रभारित है।	10000	
8. किसी दस्तावेज के पंजीकरण या दायर करने के लिए जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार के साथ दायर करने या पंजीकृत करना आवश्यक या प्राधिकृत है।	200	
9. किसी तथ्य के रिकार्ड रखने या पंजीकरण के लिए जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार के साथ दायर करने या पंजीकृत करना आवश्यक या प्राधिकृत है।	200	

(1) लघु कंपनियों और अधिनियम की धारा 2(62) के साथ पठित अध्याय-II से संबंधित नियम के तहत परिभाषित एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए निर्धारित उक्त तालिका (जो अधिनियम की धारा 2(85) के तहत परिभाषित है) है, लागू होगी बशर्ते कि उक्त कंपनी इसके निगमन के कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उक्त कंपनी के वर्ग में रहे।

(2) अधिनियम की धारा 159 के तहत रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली कोई भी सूचना, लेखाकारों, सचिवालय लेखाकार या लागत लेखाकार की नियुक्ति की सूचना दायर करने के लिए उक्त शुल्क की तालिका लागू होगी।

(3) उक्त शुल्क की तालिका और शुल्क की गणना जो प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोत्तरी के लिए लागू है वह अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (11) के अनुसरण में संशोधित पूंजी के लिए भी लागू होगी (अंतरिती कंपनी के साथ विलय या समामेलन के पूर्व अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा इसके प्राधिकृत पूंजी शुल्क भुगतान के बाद)

(4) अधिनियम की धारा 130 और 131 के तहत उक्त तालिका संशोधित वित्तीय विवरण या बोर्ड रिपोर्ट दायर करने के लिए लागू होगी।

ख. अतिरिक्त शुल्क की निम्नलिखित तालिका सांकेतिक शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ प्ररूप दायर करने में विलंब के लिए भी लागू होगी

क्र.सं.	**विलंब की अवधि**	**प्रभार दस्तावेज सहित प्ररूप**
1	15 दिनों तक (धारा 93, धारा 139 और धारा 157)	एक बार
2	15 दिनों से अधिक और 30 दिनों तक (धारा 93, धारा 139 और धारा 157) और बचे हुए प्ररूपों के लिए 30 दिनों तक	सामान्य दायर शुल्क का 2 गुणा
3	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	सामान्य दायर शुल्क का 4 गुणा
4	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	सामान्य दायर शुल्क का 6 गुणा
5	90 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक	सामान्य दायर शुल्क का 10 गुणा
6	180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक	सामान्य दायर शुल्क का 12 गुणा

टिप्पण- (1) अधिनियम की धारा 130 और 131 के तहत संशोधित वित्तीय विवरण और बोर्ड रिपोर्ट और अधिनियम की धारा 204 के तहत व्यवसाय कंपनी सचिव द्वारा दायर की गई सचिवालयी लेखा रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होगी।

(2) दस्तावेज/प्ररूप (सांकेतिक पूंजी में बढ़ोत्तरी और इसके कारण हुए विलंब सहित) जिन्हें या तो कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 में दायर किया जाना है अर्थात जिन्हें इन शुल्क नियमों की सूचना के पूर्व दायर किया जाना था, को दायर करने में विलंब के लिए वास्तविक फाइलिंग के समय लागू शुल्क ही लागू होगा।

(3) 270 दिनों से अधिक विलंब के लिए, अधिनियम की धारा 403 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक का संदर्भ लिया जा सकता है।

ग) प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोत्तरी के लिए अतिरिक्त शुल्क निम्नलिखित दरों पर लागू होंगी।

	6 महीने तक विलंब के लिए	6 महीनों से अधिक विलंब के लिए
स्लैब	उपर्युक्त तालिका 'क' के पैरा I.3 या II.12 के तहत 2.5% प्रतिमाह, जैसा भी मामला हो	उपर्युक्त तालिका 'क' के पैरा I.3 या II.12 के तहत 3% प्रतिमाह, जैसा भी मामला हो

(1) उपर्युक्त शुल्क की तालिका अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (II) के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दायर करने में विलंब के लिए भी लागू होगी।

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 459 की उपधारा (2) के तहत केन्द्रीय सरकार को किए गए आवेदन (अपील सहित) पर शुल्क

1	**आवेदन करने के लिए**	**एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनियों के अलावा**	**एकल व्यक्ति कंपनियां और लघु कंपनियों**
(i)	प्राधिकृत शेयर पूंजी धारी कंपनी द्वारा :		
	क) 25,00,000/-रू. तक	2,000	1000
	ख) 25,00,000/-रू. से अधिक और 50,00,000/-रू. तक	5,000	2500

	ग) 50,00,000/-रू. से अधिक और 5,00,00,000/-रू. तक	10,000	---
	घ) 5,00,00,000/-रू. से अधिक और 10 करोड़ रूपये तक	15,000	---
	ड.) 10 करोड़ रूपये तक	20,000	---
(ii)	शेयर पूंजी रहित पर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी द्वारा	2,000	---
(iii)	अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए किसी संघ या प्रस्तावित कंपनी द्वारा	2,000	---
(iv)	अधिनियम की धारा 8 के तहत जारी विधिमान्य लाइसेंस धारी कंपनी द्वारा	2,000	---
(v)	विदेशी कंपनी द्वारा	5,000	---
(vi)	अधिनियम की धारा 153 के तहत निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन	500	---

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को नाम के आरक्षण के लिए दायर किए गए प्रत्येक आवेदन1,000/-रू. शुल्क के साथ किए जाएं।

(2) प्रादेशिक निदेशक (अपील सहित) या कंपनी रजिस्ट्रार (सिवाय विशेष रूप से अन्यत्र कहा गया हो) को किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए उपर्युक्त शुल्क तालिका लागू होगी।

टिप्पण : ट्रिब्युनल के समक्ष दायर किए गए आवेदनों के लिए अधिनियम की धारा 459 की उपधारा (2) के तहत पृथक शुल्क सूची निर्धारित की जाएगी।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 की उपधारा (5) के तहत निष्क्रिय कंपनी द्वारा देय वार्षिक शुल्क

1	**आवेदन करने के लिए**	एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनियों के अलावा	एकल व्यक्ति कंपनियां और लघु कंपनियों
(i)	प्राधिकृत शेयर पूंजी धारी कंपनी द्वारा :		
	क) 25,00,000/-रू. तक	2,000	1000
	ख) 25,00,000/-रू. से अधिक और	5,000	2500

	50,00,000/-रू. तक		
	ग) 50,00,000/-रू. से अधिक और 5,00,00,000/-रू. तक	10,000	---
	घ) 5,00,00,000/-रू. से अधिक और 10 करोड़ रूपये तक	15,000	---
	ड.) 10 करोड़ रूपये से अधिक	20,000	---
	शेयर पूंजी रहित पर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी द्वारा	2,000	---

IV. अधिनियम की धारा 399 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क

(i) अधिनियम की धारा 399 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत 100/-रू.

(ii) अधिनियम की धारा 399 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत

(क) निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति के लिए - 100/-रू.

(ख) कंप्युटर पठनीय मीडिया पर ऐसे दस्तावेजों की हार्ड प्रति सहित अन्य दस्तावेजों की प्रति या सार के लिए -25/-रू. प्रति पृष्ठ ।

V. अधिनियम की धारा 385 के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए शुल्क

6000/-रू. प्रति दस्तावेज

VI. अधिनियम की धारा 248(2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों के नाम को हटाने के लिए शुल्क 5000/-रू.

फा.सं. 01/16/20313 सीएल-v

(रेणुका कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुदेश

1. शुल्क का भुगतान - कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 के अधीन शुल्क की तालिका निम्नलिखित शीर्ष में देय होगी, सिवाय उन शीर्षों को छोड़कर जहां वह भिन्न रूप से प्रदान किया गया हो।

(1) अधिनियम या नियम या विनियमन या उसके तहत जारी सूचना के अनुसरण में रजिस्ट्रार को निम्नलिखित शीर्षों के तहत क्रेडिट के लिए देय शुल्क का भुगतान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के किसी प्राधिकृत बैंक और जो भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता हो, में किया जाना चाहिए। जो मुख्यत: इस प्रकार है:-

मुख्य शीर्ष	अक्षरांकीय कोड विवरण	खाता कोड	क्रमिक कोड	स्रोत वर्ग चेक अंक
1475	संयुक्त स्टॉक कंपनियों के अन्य सामान्य वित्तीय सेवा नियामक	147500105	147500106	113
	(क) पंजीकरण शुल्क	14750010599	14750032	114
	(ख) दायर शुल्क	14750010598	14750033	117
	(ग) जांच एवं प्रतिनिधि शुल्क	14750010597	14750034	112
	(घ) अन्य शुल्क	14750010596	14750035	119

(2) जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कंप्युटर पठनीय मीडिया के माध्यम से आवेदन दायर किए गए हों वहां प्रयोक्ता निम्नलिखित भुगतान विकल्प में से कोई भी एक चुन सकता है। जैसे : (i) क्रेडिट कार्ड; या (ii) इंटरनेट बैंकिंग; या (iii) बैंक काउंटर पर प्रेषण या (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य मोड। कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में निर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित बैंकों के किसी भी प्रत्यायित शाखाओं के माध्यम से होना चाहिए।

(क) पंजाब नेशनल बैंक

(ख) भारतीय स्टेट बैंक

(ग) इंडियन बैंक

(घ) आईसीआईसीआई बैंक

(ङ) एचडीएफसी बैंक

(च) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ।

(3) देय शुल्क रजिस्ट्रार के कार्यालय के शहर या नगर में स्थित किसी बैंक पर भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार को अदा की जाए।

(4) जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि जहां रजिस्ट्रार को देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया हो, वहां उसे तब तक प्रदत्त न समझा जाए जब तक संबंधित ड्राफ्टों को कैश कर राशि को जमा न कर लिया जाए।

सामान्य परिपत्र सं. 6/2014

फा.सं. एमसीए21/28/2014

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 28/03/2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक,

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

विषय: **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न प्ररूपों का रोल आउट प्लान और कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत प्ररूपों को बनाए रखना**

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत पूर्व अधिसूचित 99 धाराओं के अतिरिक्त 183 अतिरिक्त धाराओं को अधिसूचित किया है। इस संबंध में दिनांक 25/03/2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त संबंधी सूचना को जारी किया गया है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. अधिसूचित धाराओं की पूर्ति को सुगम बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विभिन्न प्ररूपों के स्टैंडर्ड रोल आउट की योजना की है। सभी विषयों पर आधारित फाइलिंग जिनकी नियत तिथि 01/04/2014 से 30/04/2014के बीच पड़ती है, के शुल्क को माफ करने का फैसला लिया गया है।
3. दिनांक 01/04/2014 से 14/04/2014 तक तालिका 'क' में उल्लिखित वर्तमान ई-प्ररूपों को छोड़कर दायर करने हेतु कोई अन्य ई-प्ररूप उपलबध नहीं होंगे। अन्य फ्रंट आफिस पोर्टल सेवा चालू रहेगी। दिनांक 01/04/2014 से 13/04/2014 तक अवधि को कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत पहले से दायर की गई लंबित ई-प्ररूप के क्लियरिंग के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

<u>तालिका 'क'</u>

क्र.सं.	पुराना प्ररूप	प्ररूप का उद्देश्य
1	66	रजिस्ट्रार के साथ अनुपालन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के लिए प्ररूप
2	14एलएलपी	कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी के सीमितदेयता भागीदारी (एलएलपी) में रूपांतरण की सूचना देने के लिए प्ररूप
3	20बी	रजिस्ट्रार के साथ शेयर पूंजी धारी कंपनी द्वारा वार्षिक विवरणिका दायर करने के लिए प्ररूप
4	21ए	शेयर पूंजी रहित कंपनी के लिए वार्षिक विवरणिका के ब्यौरे
5	23एसी	रजिस्ट्रार के साथ तुलनपत्र एवं अन्य दस्तावेज दायर करने के लिए प्ररूप
6	23एसीए	रजिस्ट्रार के साथ लाभ एवं हानि खाता एवं अन्य दस्तावेज दायर करने के लिए प्ररूप
7	23एसीए-एक्सबीआरएल	रजिस्ट्रार के साथ लाभ एवं हानि खाता एवं अन्य दस्तावेज संबंधी एक्सबीआरएल दस्तावेज दायर करने के लिए प्ररूप
8	23एसी-एक्सबीआरएल	रजिस्ट्रार के साथ-तुलन पत्र एवं अन्य दस्तावेज संबंधी एक्सबीआरएल दस्तावेज दायर करने के लिए प्ररूप
9	23सी	केन्द्रीय सरकार को लागत लेखाकार की नियुक्ति के लिए आवेदन का प्ररूप
10	23डी	केन्द्रीय सरकार को लागत लेखाकार द्वारा सूचना प्रदान करने हेतु प्ररूप
11	35ए	अंतरण कंपनी से अंतरीति कंपनी में शेयरों के स्थानांतरण या शेयर वर्ग संबंधी किसी योजना या संविदा के किसी प्रस्ताव से संबंधित सूचना प्रस्तुत की जानी है
12	ए-एक्बीआरएल	केन्द्रीय सरकार के साथ अनुपालन रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज संबंधी एक्सबीआरएल रिपोर्ट दायर करने के लिए प्ररूप
13	एफटीई	कंपनी के नाम को हटाने के लिए फास्ट ट्रैक एक्सिट (एफटीई) मोड के अंतर्गत आवेदन
14	आई-एक्सबीआरएल	केन्द्रीय सरकार के साथ लागत लेखाकार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज संबंधी एक्सबीआरएल दस्तावेज दायर करने के लिए प्ररूप
15	5-आईएनवी	आईईपीएफ को अदत्त लाभांश राशि का स्थानांतरण
16	21	दिनांक 14/04/2014तक न्यायालय/प्राधिकरण का आदेश

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, तालिका 'ख' में उल्लिखित ई-प्ररूप भी दायर करने के लिए उपलब्ध है

<u>तालिका 'ख'</u>

क्र.सं.	पुराना प्ररूप	प्ररूप का उद्देश्य
1	धन वापसी	अदा किए गए शुल्क की धन वापसी हेतु आवेदन
2	बैंक खाता	बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन, जिसमें प्रयोक्ता को भौतिक आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है
3	निवेशक शिकायत प्ररूप	कंपनी के खिलाफ शिकायत(तें) दायर करने के लिए प्ररूप

5. दिनांक 14/04/2014 से तालिका 'ग' में उल्लिखित 39 नए ई-प्ररूप अपलोड हेतु एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। दिनांक 28/03/2014 से इन प्ररूपों के परीक्षण संस्करण उपलब्ध होंगे। दिनांक 14/04/2014 से अंतिम प्ररूप उपलब्ध होंगे।

<u>तालिका 'ग'</u>

क्र.सं.	नया प्ररूप सं.	प्ररूप का उद्देश्य	पुराना प्ररूप
1	आईएनसी-1	नाम के आरक्षण के लिए आवेदन	1ए
2	आईएनसी-2	ओपीसी- निगमन के लिए आवेदन	नया प्ररूप
3	आईएनसी-3	ओपीसी- नामित व्यक्ति सहमति प्ररूप	नया प्ररूप
4	आईएनसी-4	ओपीसी- नामित व्यक्ति/सदस्य में बदलाव	नया प्ररूप
5	आईएनसी-5	ओपीसी- समाप्ति की सूचना	नया प्ररूप
6	आईएनसी-6	ओपीसी- रूपांतरण के लिए आवेदन	नया प्ररूप
7	आईएनसी-7	कंपनी का निगमन (ओपीसी के अलावा)	1
8	आईएनसी-18	धारा 8 कंपनियों का किसी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	नया प्ररूप
9	आईएनसी-20	रजिस्ट्रार को धारा8के तहत जारी लाइसेंस के निरसन/समर्पण के लिए सूचना	नया प्ररूप
10	आईएनसी-21	व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवेदन	19,20
11	आईएनसी-22	पंजीकृत कार्यालय स्थिति या स्थिति में बदलाव के लिए सूचना	18

12	आईएनसी-23	पंजीकृत कार्यालय को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने या एक राज्य के भीतर किसी एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से किसी दूसरे रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में बदलने के लिए अनुमोदन के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	1एडी, 24एएए
13	आईएनसी-24	नाम बदलने के लिए आवेदन	1बी
14	आईएनसी-27	निजी से सार्वजनिक या इसके विपरीत रूपांतरण	1बी,62
15	आईएनसी-28	न्यायालय या अधिकरण या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश की सूचना	21
16	पीएएस-3	आबंटन की विवरण	2
17	एसएच-7	शेयर पूंजी में फेरबदल के लिए रजिस्ट्रार को सूचना	5
18	एसएच-8	प्रस्ताव पत्र	नया प्ररूप
19	एसएच-11	प्रतिभूतियों की पुन: क्रय संबंधी विवरण	4सी
20	सीएचजी-1	(डिबेंचर रहित) प्रभारनिर्माण या संशोधन के पंजीकरण के लिए आवेदन	8
21	सीएचजी-4	प्रभार पूर्ति के ब्यौरे	17
22	सीएचजी-6	रिसीवर या प्रबंधक की नियुक्ति या कार्यमुक्ति की सूचना	15
23	सीएचजी-9	डिबेंचर के लिए प्रभार निर्माण या संशोधन के पंजीकरण के लिए आवेदन	10
24	एमजीटी-14	धारा117 के तहत रजिस्ट्रार को संकल्प एवं समझौता दायर करना	23
25	डीआईआर-3	निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन	डीआईएन1
26	डीआईआर-5	केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले निदेशक के ब्योरों में बदलाव की सूचना	डीआईएन4
27	डीआईआर-7	रजिस्ट्रार को निदेशक के त्यागपत्र की सूचना	नया प्ररूप
28	डीआईआर-8	निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उनके बीच हुए बदलाव के ब्यौरे	32, 32एडी
29	एमआर-1	प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति की विवरणी	25सी

30	एमआर-2	प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक की नियुक्ति का केन्द्र सरकार से अनुमोदन या उनकी पुनर्नियुक्ति और पारिश्रमिक या पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी या अधिक अदायगी को छोड़ने और निदेशकों के कमीशन एवं पारिश्रमिक के लिए प्रपत्र	25ए
31	यूआरसी-1	धारा 366 के तहत किसी कंपनी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन	37,39
32	एफसी.1	विदेशी कंपनी द्वार दायर की जाने वाली सूचना	44
33	एफसी.2	विदेशी कंपनी द्वारा पंजीकरण के लिए दायर दस्तावेजों में फेरबदल की विवरणी	49,52
34	एफसी.3	भारत में विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित व्यवसाय के सभी मुख्य स्थानों की सूची	52
35	एफसी.4	वार्षिक विवरणी	पीटीII
36	एडीजे	अपील ज्ञापन	नया प्ररूप
37	एमएससी-1	निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन	नया प्ररूप
38	एमएससी-3	निष्क्रिय कंपनियों की विवरणी	नया प्ररूप
39	एमएससी-4	सक्रिय कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	नया प्ररूप

6. तालिका 'घ' में 5 सामान्य ई-प्ररूप और 2 ई-प्ररूप का उल्लेख है जो दिनांक 28/04/2014 से दायर करने के लिए उपलब्ध होंगे। 24 अधिसूचित प्ररूप/घटनाएं जो परवर्ती तारीख तक व्यक्तिगत ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध होंगे, को इस 7 ई-प्ररूपों के साथ संलग्न कर दायर किया जा सकता है। सामान्य ई-प्ररूपों के साथ दायर किए जाने वाले भौतिक प्ररूपों का ब्योरा इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

<u>तालिका 'घ'</u>

क्र.सं.	**नया प्ररूप सं.**	**प्ररूप का उद्देश्य**	**पुराना प्ररूप**
1	जीएनएल.1	कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप	61
2	जीएनएल.2	कंपनी रजिस्ट्रार के समक्षदस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए प्ररूप	62

3	सीजी.1	केन्द्रीय सरकार के समक्ष आवेदन या दस्तावेज दायर करने के लिए प्ररूप	65
4	जीएनएल.3	धारा 2(60) के उद्देश्य के लिए बदले हुए या निर्दिष्ट व्यक्ति(यों) या निदेशक(कों) के ब्यौरे	1एए
5	एमजीटी.6	रजिस्ट्रार के समक्ष विवरणी दायर करने का प्ररूप	22बी
6	आरडी.1	प्रादेशिक निदेशक को आवेदन दायर करने के लिए प्ररूप	24ए
7	आरडी.2	केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) को याचिका दायर करने के लिए प्ररूप	24एएए

7. उपरोक्त को देखते हुए,आपसे सूचना के प्रसार के लिए इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

अनुलग्नक : यथा उपरोक्त

(संजय कुमार गुप्ता)
उप निदेशक
23384657

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. कारपोरेट कार्य मंत्री के पीपीएस
2. सचिव के पीपीएस
3. अपर सचिव के पीपीएस
4. संयुक्त सचिव(आर)/संयुक्त सचिव(एम)/संयुक्त सचिव(बी)/संयुक्त सचिव(पी) के पीपीएस
5. निदेशक, निरीक्षण एवं जांच (यूसीएन) निदेशक निरीक्षण एवं जांच (बीएनएच) के पीपीएस
6. निदेशक (एके),निदेशक (एबी), निदेशक (एनसी)

क्र.सं.	पूर्व अधिनयम के तहत प्ररूप की संख्या	नए अधिनयम के तहत प्ररूप की संख्या	दायर करने का उद्देश्य	धारा जिसके तहत प्ररूप दायर किए जाने हैं	अध्याय संख्या	टिप्पण
1	61	जीएनएल.1	अपराधों के प्रशमन के लिए आवेदन	441	28	नए प्ररूप जीएनएल.1 में रेडियो बटन सक्रिय है
2			वार्षिक आम बैठक की अवधि को तीन महीने तक बढ़ाने के लिए आवेदन	96	8	नए प्ररूप जीएनएल.1 में रेडियो बटन सक्रिय है
3			धारा 210(4) के तहत वार्षिक खातों की अवधि को अठारह महीनों तक बढ़ाने के लिए आवेदन	132	9	नए प्ररूप जीएनएल.1 में पूर्ववर्षों के लिए रेडियो बटन सक्रिय है
4			निष्क्रिय कंपनी की घोषणा के लिए आवेदन	248,252	28	नए प्ररूप जीएनएल.1 में पूर्ववर्षों के लिए रेडियो बटन सक्रिय है
5			व्यवस्था एवं समामेलन की योजना के लिए आवेदन	232	15	नए प्ररूप जीएनएल.1 में रेडियो बटन सक्रिय है
6			किसी निष्क्रिय कंपनी को सामान्य बनाने के लिए आवेदन	455	29	नए प्ररूप जीएनएल.1 में पूर्ववर्षों के लिए रेडियो बटन सक्रिय है
7			आवेदन-अन्य	कोई धारा नहीं	कोई धारा नहीं	नए प्ररूप जीएनएल.1 में रेडियो बटन सक्रिय है
8	62	जीएनएल.2	अनुसूची IV के अनुसार प्रोस्पेक्टस के बदले विवरण	हटाया गया	हटाया गया	नए अधिनियम में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अत: नए प्ररूप जीएनएल.2(62) में इस विकल्प को अक्षम कर दिया गया है
9			प्रॉस्पेक्टस	26(4)	3	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है

10			जमा की विवरण	76	5	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
11			प्ररूप एसएच 9: शोध क्षमता की घोषणा	68(6)	4	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
12			प्ररूप 156 -समापन के खाते का अंतिम विवरण दायर करना	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
13			प्ररूप 152-नियम 327 [कंपनी (न्यायालय नियम] के साथ पठित धारा 551 के तहत समापक का विवरण	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
14			प्ररूप 153 नियम 327 [कंपनी (न्यायालय नियम] के साथ पठित धारा 551 के तहत समापक का शपथपत्र	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
15			प्ररूप 154-नियम 335 [कंपनी (न्यायालय नियम] के साथ पठित धारा 555 के तहत अदत्त लाभांश एवं अवितरित परिसंपत्तियों पर समापक का विवरण	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
16			प्ररूप 159-नियम 313 [कंपनी (न्यायालय नियम] संपत्तियों एवं देयता का विवरण सम्मिलित कर शोध क्षमता की घोषणा	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
17			प्ररूप 149-नियम 331 [कंपनी (न्यायालय नियम]	पूर्व नियम एवं	पूर्व नियम एवं	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है

			अंतिम समापन बैठक (स्वैच्छिक समापन करने वाले सदस्य) का विवरण	अधिनियम के अनुसार	अधिनियम के अनुसार	
18			प्ररूप 157-नियम 331 [कंपनी (न्यायालय नियम] अंतिम समापन बैठक (स्वैच्छिक समापन करने वाले लेनदारों) का विवरण	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
19			प्ररूप 158-नियम 331 [कंपनी (न्यायालय नियम] अंतिम समापन बैठक (स्वैच्छिक समापन करनेवाले सदस्य) का विवरण	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	पूर्व नियम एवं अधिनियम के अनुसार	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
20			अन्य दस्तावेज	कोई धारा नहीं	कोई धारा नहीं	नए प्ररूप जीएनएल.2 में रेडियो बटन सक्रिय है
21	24ए	आरडी.1	संविदा करने के अनुमोदन के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	हटाया गया	हटाया गया	नए अधिनियम में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अत: इस विकल्प को नए प्ररूप आरडी.1 (24ए) में अक्षम कर दिया गया है
22			लेखाकार की नियुक्ति के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	हटाया गया	हटया गया	नए अधिनियम में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अत: इस विकल्प को नए प्ररूप आरडी.1 (24ए) में अक्षम कर दिया गया है
23			धारा 8 के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	8(1) व 8(5)	2	नया प्ररूप निर्धारित किया गया है
24			लेखाकार को हटाने के लिए	139,142	10	नया प्ररूप निर्धारित

			प्रादेशिक निदेशक को आवेदन			किया गया है
25			नाम के संशोधन के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	16	2	नया प्ररूप निर्धारित किया गया है
26			अन्य- प्रादेशिक निदेशक को आवेदन	कोई धारा नहीं	कोई धारा नहीं	नया प्ररूप निर्धारित किया गया है
27	24एएए	आरडी.2	धारा 17 के तहत कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) को याचिका दायर करने के लिए प्ररूप	13(4)	2	नए प्ररूप आईएनसी.23 को निर्धारित कर दिया गया है। अत: प्ररूप आरडी.2 से रेडियो बटन को अक्षम कर दिया गया है
28			धारा 18 के तहत केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) को याचिका दायर करने के लिए प्ररूप	हटाया गया	हटाया गया	नए अधिनियम में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अत: इस विकल्प को नए प्ररूप आरडी.2 (24एएए) में अक्षम कर दिया गया है
29			धारा 19 के तहत केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) को याचिका दायर करने के लिए प्ररूप	हटाया गया	हटाया गया	नए अधिनियम में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अत: इस विकल्प को नए प्ररूप आरडी.2 (24एएए) में अक्षम कर दिया गया है
30			धारा 141 के तहत केन्द्रीय सरकार को (प्रादेशिक निदेशक) को प्रभार प्ररूप दायर करने में विलंब की माफी की याचिका दायर करने के लिए प्ररूप	87	6	नया प्ररूप निर्धारित किया गया है

31			धारा 188 के तहत केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) को याचिका दायर करने के लिए प्ररूप	हटाया गया	हटाया गया	नियम निर्धारित नहीं किया है, अत: इस विकल्प को नए प्ररूप आरडी.2 (24एएए) में अक्षम कर दिया गया है
32	65	सीजी.1	जमाओं की वापसी के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन	हटाया गया	हटाया गया	नियम निर्धारित नहीं किया गया है, अत: इस विकल्प को नए प्ररूप सीजी.1 (65) से अक्षम कर दिया गया है
33			कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 बी(7) के अनुसरण में कंपनी द्वारा लेखा रिपोर्ट में निहित आरक्षण और अर्हता पर सूचना और स्पष्टीकरण	हटाया गया	हटाया गया	नियम निर्धारित नहीं किया गया है, अत: इस विकल्प को नए प्ररूप सीजी.1 (65) से अक्षम कर दिया गया है
34			आवेदन-अन्य	कोई धारा नहीं	कोई धारा नहीं	नया प्ररूप निर्धारित किया गया है

सामान्य परिपत्र सं. 05/2014

संख्या मुख्यालय/7/2002-कंप्युटरीकरण

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 28 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी हितधारक

विषय:प्रमाणित प्रतियां जारी करने के लिए स्टाम्प शुल्क एवं कोर्ट फीस स्टाम्प का आनलाइन भुगतान

मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष दायर किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर ली है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई प्रयोक्ता किसी दस्तावेज की प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करता है तो उसे एमसीए पोर्टल पर आनलाइन एमसीए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। शुल्क का परिकलन आवश्यक दस्तावेजों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

2. दस्तावेजों का चयन हो जोने और अपेक्षित एमसीए शुल्क का भुगतान करने के पश्चात, हितधारक को आवेदन एवं प्रदत्त शुल्क की पावती सहित उस अधिकार क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार को मिलना अपेक्षित है। आवेदनको अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर सहित और कोर्ट फीस स्टाम्प संलग्न सहित दायर किया जाना है। स्टाम्प शुल्क और साथ ही साथ कोर्ट फीस की राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलती रहती है। आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार स्टाम्प पेपर पर प्रमाणित दस्तावेजों को चिपका कर उसे विधिवत प्रमाणित कर हितधारक (आवेदक) को वापस कर देंगे।

3. प्रमाणित प्रतियों को जारी करने में विलंब के कारणों को पहचानने एवं सुधारने की दृष्टि से मंत्रालय ने एमसीए पोर्टल के माध्यम से स्टाम्प शुल्क और साथ ही साथ कोर्ट फीस का आनलाइन भुगतान सक्षम कर दिया है। ऐसा करने से कंपनी रजिस्ट्रार प्रमाणित दस्तावेजों को इस संबंध में भौतिक स्टाम्प पेपरों एवं किसी भी औपचारिक आवेदन (कोर्ट फीस स्टाम्प रहित) के इंतजार के बिना भेजने में सक्षम होंगे।

4. कोर्ट फीस की राशि को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए सिस्टम द्वारा गणना की गई एमसीए शुल्क के साथ जोड़ा जाएगा। यह उस राज्य पर आधारित होगा जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। कोर्ट फीस को एसआरएन के आधार पर आवेदित दस्तावेजों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए जोड़ा जाएगा।

5. प्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त करने के लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाना चाहिए। दस्तावेजों, अनुरोध की गई प्रतियों की संख्या और राज्य जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के आधार पर स्टाम्प की गणना की जाएगी। स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए पृथक एसआरएन सृजित की जाएगी।

6. आवेदन पर पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात एक पृथक स्टाम्प भुगतान की पावती सृजित की जाएगी। इसे दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न किया जाएगा। अनुरोध किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को क्षेत्राधिकारी कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 15 दिनों के भीतर हितधारकों को पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा। प्रतियों को आवेदक के चालान में उल्लिखित पते पर भेज दिया जाएगा।

7. कंपनी रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करे कि एमसीए शुल्क के भुगतान के लिए कोर्ट फीस स्टाम्प की राशि को चालान की प्रमाणित प्रतियां या प्रिंटआउट के डिस्पैच रिकार्ड के साथ लगाया जाए। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस स्टाम्प को प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

8. यह परिपत्र दिनांक31.03.2014 से लागू होगा।

भवदीय

(श्याम सुंदर)
उप निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. कारपोरेटकार्य मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिवों के पीपीएस

सामान्य परिपत्र सं. 04/2014

सं. 1/32/2013-सीएल-V(पार्ट फाइल)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14/2/2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी हितधारक

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

इस मंत्रालय को सामान्य संकल्प पर आधारित उधार राशियों और/या प्रत्याभूतियों के सृजन के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से संबंधित कई अभिवेदन प्राप्त किए हैं। मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 12.09.2013 से पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 के तहत पारित संकल्प, जो कंपनी के आस्तियों पर उधार राशि (निर्धारित सीमा के अधीन) और/या प्रतिभूतियों के सृजन से संबंधित है, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 की सूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 की आवश्यकताओं की पर्याप्त अनुपालना माना जाएगा।

भवदीय

(केएमएसनारायण)

सहायक निदेशक (नीति)

दूरभाष : 23387263

प्रतिलिपि प्रेषित: गार्ड फाइल

सामान्य परिपत्र सं. 03/2014

सं. 1/12/2013-सीएल-V

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14/2/2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी हितधारक

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

इस मंत्रालय को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372ए के तहत उधार/गारंटी या प्रतिभूति के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 की प्रयोजनीयता पर कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दे की जांच कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372ए की तुलना में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 की प्रयोजनीयता के संदर्भ में की गई। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372ए किसी होल्डिंग कंपनी का अपने पूर्ण स्वामित्व प्राप्त अनुषंगी कंपनी को दिए गए ऋण, गारंटी या प्रतिभूति या उन पर किए गए निवेश पर विशेष रूप से छूट प्रदान करती है। जबकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185, सामान्य व्यवसाय को छोड़कर; किसी होल्डिंग कंपनी का अपनी अनुषंगी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण पर दी गई गारंटी या प्रतिभूति पर रोक लगाती है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372ए की प्रयोजनीयता संबंधी सामंजस्य बनाए रखने के लिए जब तक कि इसका खंडनऔर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 को अधिसूचित न कर दिया जाए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 की सूचना तक किसी होल्डिंग कंपनी का किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उसकी अनुषंगी कंपनी को दिए गए ऋण से संबंधित गारंटी या प्रतिभूति पर छूट जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372ए की उपधारा (8) के खंड (घ) में उल्लिखित है, लागू होगी। हालांकि यह स्पष्टीकरण उन मामलों पर लागू होगा जहां अनुषंगी कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण को उसके मूल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से उपयोग किया गया हो।

भवदीय

(केएमएसनारायण)

सहायक निदेशक (नीति)

दूरभाष : 23387263

प्रतिलिपि प्रेषित: गार्ड फाइल